

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
39/021	212 RIA	खेडवा	खेडवा
वादी		घाद शीर्षक	प्रतिवादी
राजन्ती बाई		बनाम	मदनलाल (2021/122)

वकील :- N. C. C.


आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

28/7/21

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 7/9/021 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा, जिला बारां (राज.)

7/9/21

पत्रावली पेश हुई। वकील माफी अर्जित प्रतिवादी कुं 1, 2, व 4 के बेटे बालील सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी कुं 1, 2, व 4 की ओर से श्री दीन तसक एडवो. का तबालत नामा पेश हुआ जो शर्त कि किया गया जबकि हेतु सम्मन वादा है। प्रतिवादी कुं 3 को सम्मन के अनुपस्थिति। उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है बाकि पत्रावली दिनांक 25/10/21 को पेश हो।

8/10/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
 शिविर.....खेडवा..... पर पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित। कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली न्यायालय में दिनांक.. 13/11/21 को पेश हो।



